भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 348

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

कंपनी रजिस्ट्रार के साथ कंपनियों का पंजीकरण

***348. श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कंपनियां कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण कराए बिना चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी भी कंपनी के लिए एक निर्धारित समयावधि के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नियत किए गए मानक क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के विरूद्ध वर्ष/राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>कंपनी रजिस्ट्रार के साथ कंपनियों के पंजीकरण के संबंध में दिनांक 09 दिसंबर, 2016 को लोक सभा में उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 348 के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ग): इस मंत्रालय को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.11.2016 तक) के दौरान ऐसी कंपनियों के संबंध में सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किए बिना कथित रूप से अपना कार्य कर रही हैं। शिकायतों और संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे अनुलग्नक-I पर दिए गए हैं।

(ख): जी, हां। व्यापार चलाने के लिए किसी कंपनी का कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य है। किसी कंपनी का निगमन, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-II के अधीन विहित प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों का अनुसरण करते हुए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 453 में "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द का अनुचित प्रयोग करने के लिए दंड का प्रावधान है।

*****

अनुलग्नक-I

कंपनियों के ब्यौरे जिनके विरूद्ध निगमन के बिना कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी रजिस्ट्रार	की गई कार्रवाई
1.	वेबटर्न इंडिया प्रा. लि.	आरओसी, पुणे	यह मामला आर्थिक अपराध शाखा को भेजा गया क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए पते पर ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई।
2.	तनिष्क इंफोटेक प्रा. लि.	आरओसी, पुणे	यह मामला आर्थिक अपराध शाखा को भेजा गया क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए पते पर ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई।
3.	कारपोरेट साल्यूशन एंड हॉस्पीटलिटी सर्विसेज प्रा. लि.	आरओसी, बंगलोर	यह शिकायत खारीज कर दी गई क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए पते पर ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई और शिकायतकर्ता से और अधिक ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए भेजे गए पत्रों का कोई उत्तर नहीं मिला।
4.	कृषि विपरण विकास लि.	आरओसी, कानपुर	शिकायत की जांच की गई और यह पाया गया कि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम के अधीन निगमन कराए बिना कार्य कर रही थी। आरओसी ने इस चूक के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 453 के अधीन अभियोजन दायर किया है।
5.	स्पीकएशिया ऑनलाइन प्रा. लि. (अपंजीकृत विदेशी कंपनी)	आरओसी, दिल्ली	इस मंत्रालय के गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) में उक्त कंपनी की जांच कराई है और सूचित अपराधों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजन दायर किए हैं।
6.	भाग्य लक्ष्मी फाइनेंस प्रा.लि.	आरओसी, दिल्ली	यह शिकायत इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भेज दी गई है (यह कंपनी इस नाम से वेबसाइट चला रही थी) परंतु आरओसी, दिल्ली कार्यालय को कंपनी को भेजा गया पत्र अवितरित वापस आ गया।

7.	नटराज फाइनेंस	आरओसी, दिल्ली	इस शिकायत की जांच की गई है और आरओसी, दिल्ली द्वारा इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसकी इस मंत्रालय में जांच की जा रही है।

*****